शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ. 53(91)/ अता प्र.सं.85/तृतीय सत्र (बजट सत्र–2022)/दिविस/श.वि./2100-02 दिनांकः 25-3-22

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स.85........मान्नीय विधायक श्री.......सोमनाथ भारती.......... , दिनांक 28.003.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री सोमनाथ भारती

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 85

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	एसी–43 क्षेत्र के मतदाताओं के वार्डवार अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराएं, वार्ड 61, 62 व 63 के अद्यतन एवं सटीक भौगोलिक मानचित्र उपलब्ध कराएँ;	निर्वाचक अधिकरी (मालवीय नगर) राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाताओं के वार्डवार अद्यतन आकड़े इस प्रकार है वार्ड 61 में 58731, वार्ड 62–46998 वार्ड 63–45478, सटीक भौतिक मानचित्र सलंग्न है ।
ख	क्या पोलिंग बूथ संख्या 143, 144 व 145 को पुनः खिड़की गाँव में लाए जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं, ताकि इन बूथों में रहने वाले मतदाताओं का अधिकतम मतदान सुनिश्चित किया जा सके;	निर्वाचक अधिकरी (मालवीय नगर) राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में आवेदन प्राप्त हुए थे परन्तु नियमित स्थान न मिलने के कारण इन बोथो की पोलिंग GBSSS मालवीय नगर में कराई जाती है ।
ग	वर्ष 2010 से पहले इन बूथों का पोलिंग स्टेशन कौन सा था तथा इन्हें क्यों हटाया गया;	निर्वाचक अधिकरी (मालवीय नगर) राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में इन बोथो की वोटिंग निगम विद्यालय खिरकी गांव में होती थी । वर्तमान में वह स्कूल टूट गया है जिस कारण अब वह पर वोंटिंग नहीं होती है।
घ	किसी पोलिंग स्टेशन को सरकारी भवन/निजी स्कूल/सामुदायिक केंद्र/कम्युनिटी हॉल, बारात घर, धार्मिक स्थानों अथवा अस्थाई ढाँचे में लगाने के क्या विकल्प (choices) हैं; क्या पोलिंग बूथ 143, 144 व 145 को खिड़की गाँव में उपलब्ध स्वर्ण पब्लिक स्कूल, वीमेन पॉलीटेक्निक में अथवा निरंकारी स्कूल (मालवीय नगर), खिड़की एक्स्टेंशन में बनाए जाने पर कोई रोक है;	निर्वाचक अधिकरी (मालवीय नगर) राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी पोलिंग बूथ संबंधित विधानसभा/ या वार्ड के क्षेत्र में ही बन सकता है / वर्तमान में खिरकी गांव में मालवीय विधानसभा के अंतर्गत कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है । यदि है तो आप विभाग को सूचित कर सकते है आप के आवेदन पर विचार किया जायेगा ।
ड	क्या किसी एक वार्ड के पोलिंग स्टेशन को किसी अन्य वार्ड में नहीं बनाया जा सकता भले ही यह विकल्प वर्तमान स्थान की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हो;	निर्वाचक अधिकारी (मालवीय नगर) राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी नहीं ।
च	नगर निगम के चुनावों को, जिनकी घोषणा राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा 9 मार्च, 2022 को की जानी थी, को टाले जाने के क्या कारण हैं, राज्य चुनाव आयुक्त के अनुसार टाले जाने का कारण उपराज्यपाल महोदय द्वारा भेजी गई एक सूचना है, इस सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं;	राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा–4 यथासंशोधित, में प्रावधान है कि "एक निगम अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक जारी रहेगा और उससे ज्यादा नहीं। निगम का गठन करने के लिए चुनाव इसकी पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना चाहिए"। तीनों नगर निगमों की पहली बैठक, 18 मई, 2017 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 19 मई, 2017 को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और 22 मई, 2017 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम को हुई थी। अतः इन निगमों का
छ	क्या यह सत्य है कि नगर निगम चुनावों को टालने के उप राज्यपाल महोदय के निर्देश को अस्वीकार करने का अधिकार राज्य चुनाव	

	को था, यदि नहीं तो एतद्संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराएँ;	वर्तमान कार्यकाल 22 मई, 2022 को समाप्त होगा।
ज	क्या यह सत्य है कि तीनों नगर निगमों के एकीकरण का काम नए पार्षदों के चुनाव के बाद भी हो सकता था;	दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के नियम–4 के प्रावधान के अनुसार, नामांकन दाखिल करने से मतदान तक 27 दिनों का समय आवश्यक है। ऐसे में चुनाव शुरू होने और चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए लगभग 30 दिनों की अवधि की आवश्यकता होती है। अतः चुनाव के लिए अभी पर्याप्त समय है। उपरोक्त पैरा–1 के समान प्रावधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 यू में मौजूद है।
झ	दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने के लिए दिल्ली विधानसभा, भारतीय संसद (लोकसभा/राज्यसभा) व अन्य किसी सरकारी निकाय/विभाग द्वारा क्या–क्या कदम उठाए जाने अपेक्षित होंगे; और	
ञ	निगम के चुनावों की अगली संभावित तिथियाँ क्या होंगी, क्या यह एकीकरण से पहले होंगे या बाद में होंगे?	

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

7/C

WARD 61-S, SAFDARJUNG ENCLAVE

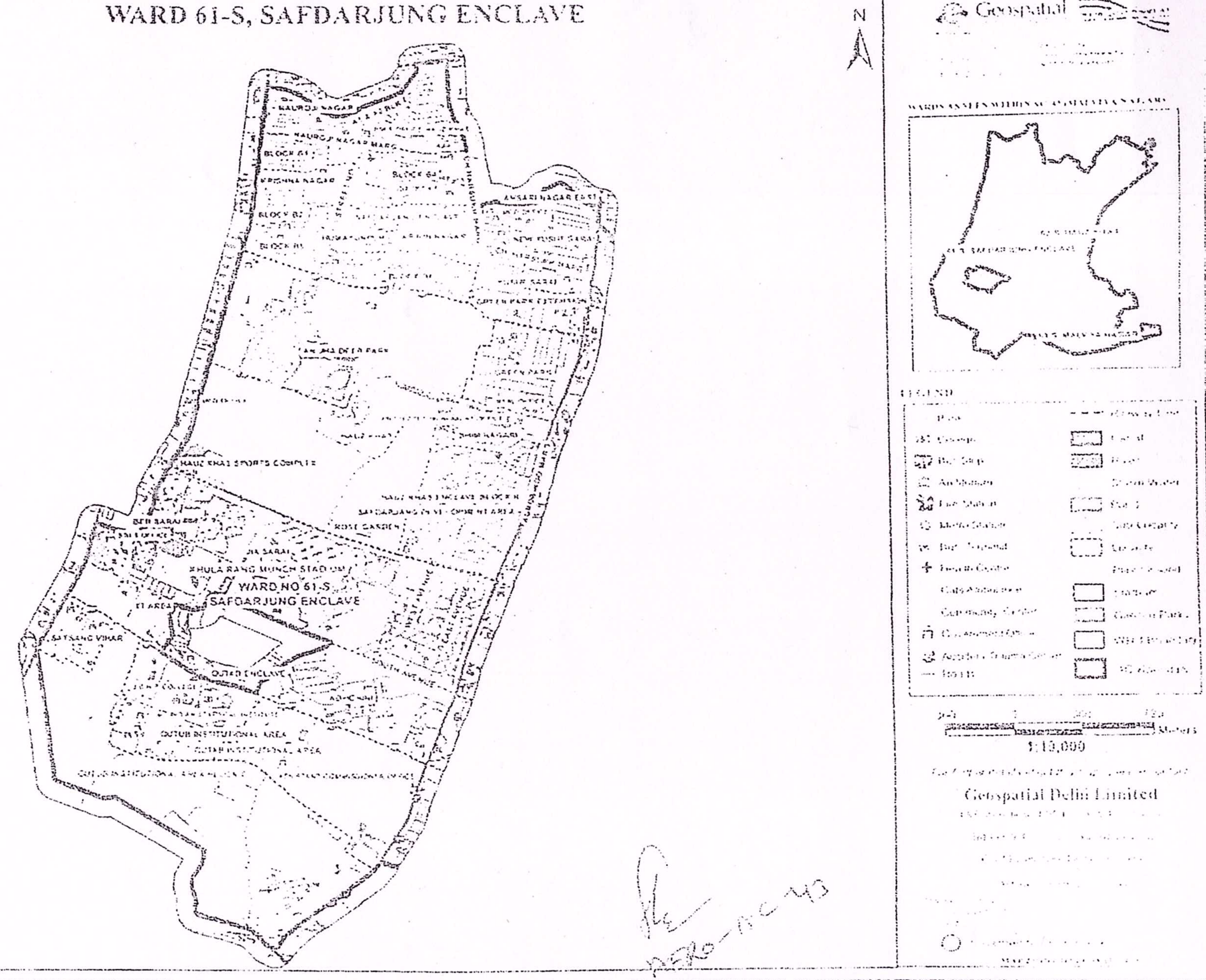

Geospatial

Geospatial Delhi Limited

6/C

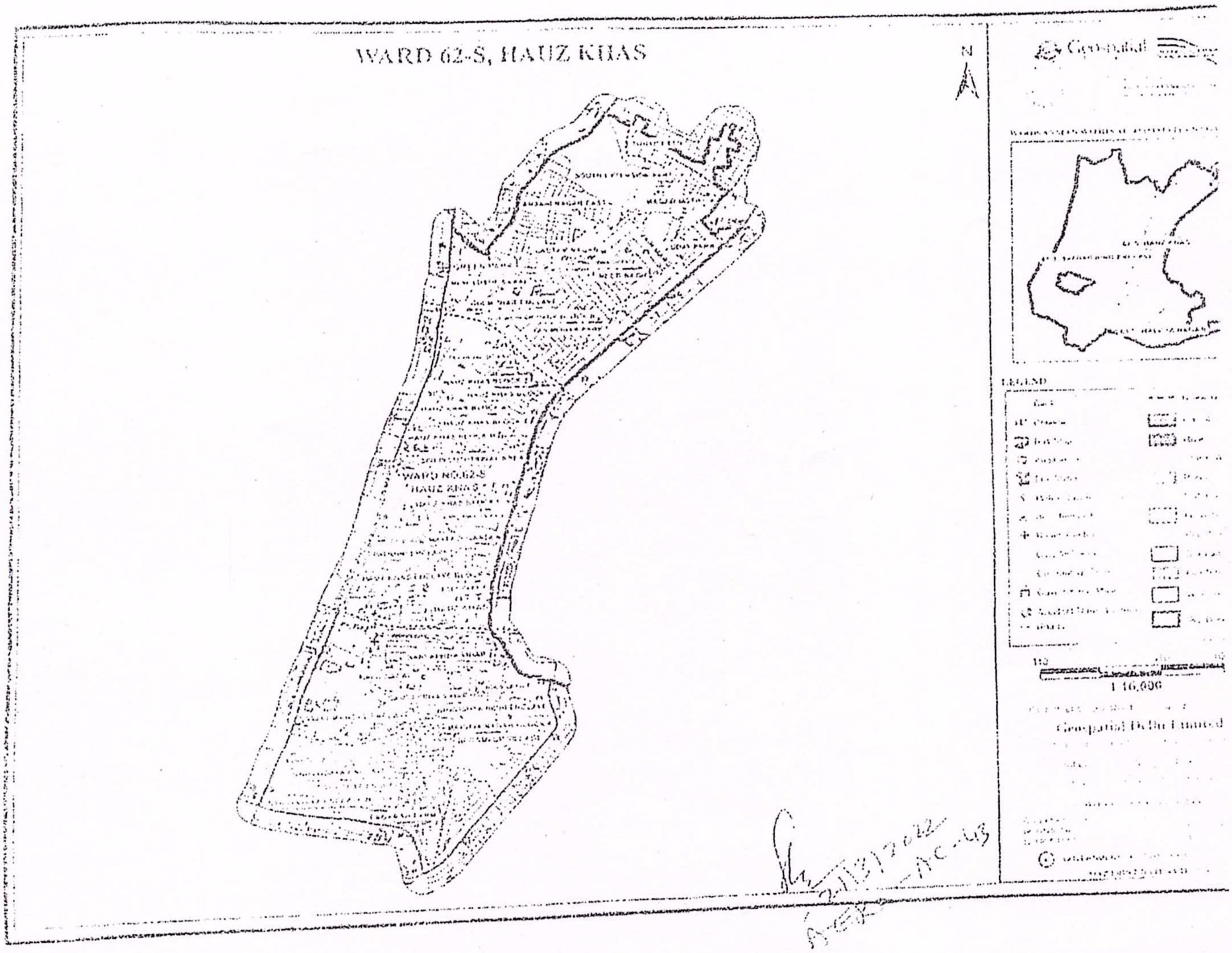

Scanned with CamScanne

5/C

WARD 63-S, MALVIYA NAGAR

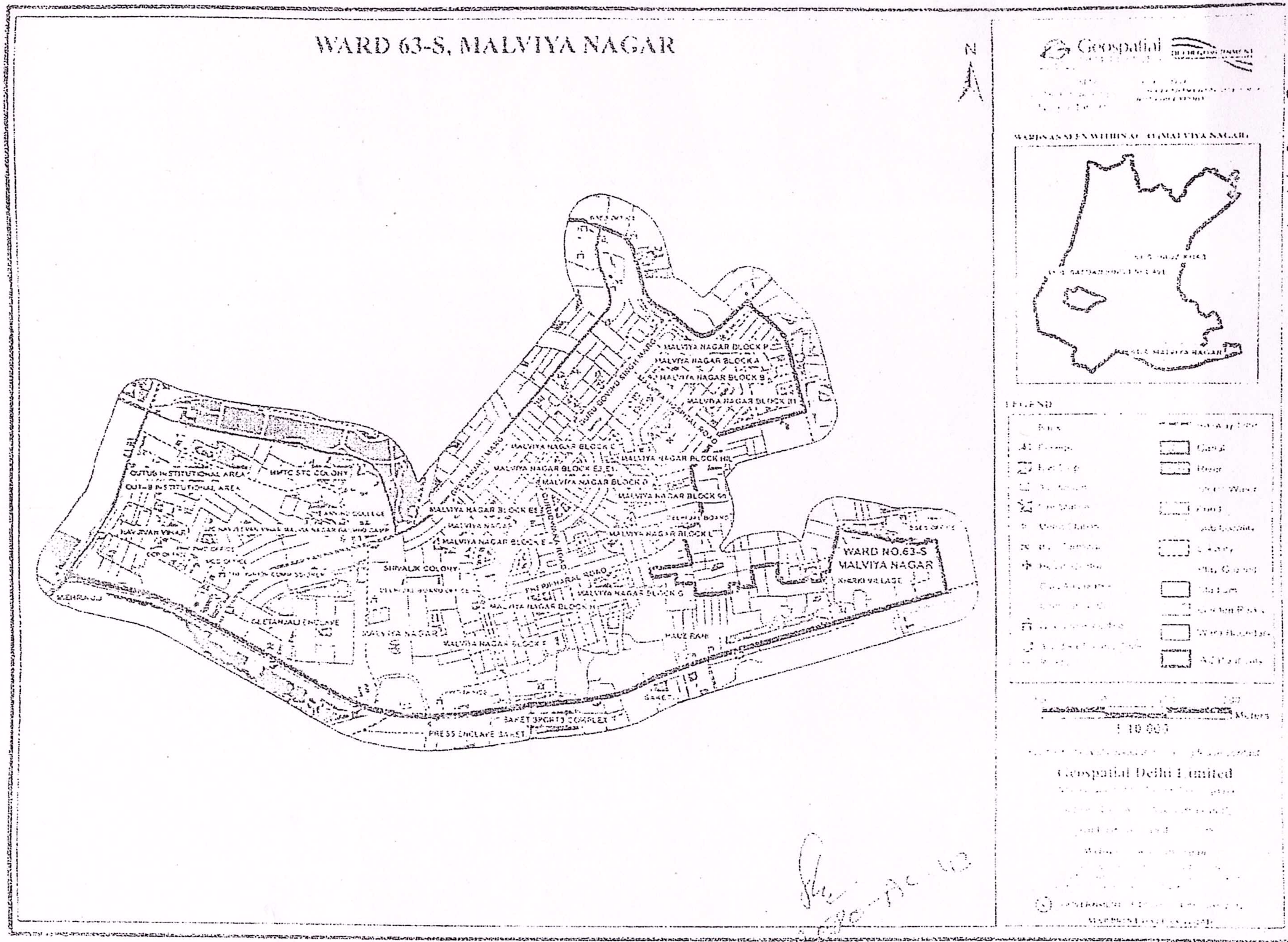

Scanned with CamScanner